संख्या-124/2026/1379179/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/204/2020

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

न्याय अनुभाग- 9(बजट) लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषय : जनपद कन्नौज में 08 कोर्टरूम भवन निर्माण, बैंक, ए0टी0एम0 रूम, पोस्ट ऑफिस, स्टाफ हेतु पार्किंग, फोटो-कापियर एवं कैंटीन निर्माण प्रायोजना हेतु एस०एन०ए० मोड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में|

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया न्याय विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-49/2020/96/सात-न्याय-9(बजट)-2020-800(49)/2020 दिनांक 30.01.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्टं करे, जिसके द्वारा जनपद कन्नौज में 08 कोर्टरूम भवन निर्माण, बैंक, ए0टी0एम0 रूम, पोस्ट ऑफिस, स्टाफ हेतु पार्किंग, फोटो-कापियर एवं कैंटीन निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 1833.67 लाख(जी0एस0टी0 सहित)(अट्ठारह करोड़ तैतीस लाख सडसठ हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गए हैं|

2- न्याय विभाग के शासनादेश संख्या-49/2020/96/सात-न्याय-9(बजट)-2020-800(49)/2020 दिनांक 30.01.2020 द्वारा जनपद कन्नौज में 08 कोर्टरूम भवन निर्माण, बैंक, ए0टी0एम0 रूम, पोस्ट ऑफिस, स्टाफ हेतु पार्किंग, फोटो-कापियर एवं कैंटीन निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 1833.67 लाख(जी0एस0टी0 सहित)(अट्ठारह करोड़ तैतीस लाख सडसठ हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है| इसी क्रम में प्रायोजना हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा अबतक रूपये 1333.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है एवं रूपये 500.20 लाख अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश संख्या-121/2026/1369338/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9002(099)/4/2024 दिनांक 19 जून,2026 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये SNA-SPARSH मोड्यूल के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना के लिये धनराशि रूपये 83.00 करोड तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों के निर्माण के लिये धनराशि रूपये 20.8583333 करोड अर्थात कुल धनराशि रूपये 103.8583333 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 मे न्याय विभाग विभाग के उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 30.01.2020 द्वारा जनपद कन्नौज में 08 कोर्टरूम भवन निर्माण, बैंक, ए0टी0एम0 रूम, पोस्ट ऑफिस, स्टाफ हेतु पार्किंग, फोटो-कापियर एवं कैंटीन निर्माण प्रायोजना हेतु स्वीकृत लागत रू0 1833.67 लाख(जी0एस0टी0 सहित)(अट्ठारह करोड़ तैतीस लाख सडसठ हजार) के क्रम में अवशेष धनराशि रु0 500.20 लाख के सापेक्ष एस०एन०ए० मोड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि रु0 400.00 लाख(रूपये चार करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु 'सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ' कार्यदायी संस्था नामित है। कार्यदायी संस्था/Implementing Agency द्वारा नियमानुसार बेनिफिशियारी पंजीकृत किया जाएगा|
2- एस०एन०ए०-स्पर्श मोड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु स्टेट स्कीम मैनेजर / डी0डी0ओ0 (एसएनए-स्पर्श)/ एस०एन०ए०-एडमिन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी|

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त धनराशि को एस०एन०ए०-स्पर्श मोड्यूल के अंतर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था/ Implementing Agency द्वारा बेनेफिशियरी/वेंडर को भुगतान किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाएगा||

4- अग्रिम भुगतान के अंतर्गत समस्त वैधानिक कटौतिया किये जाने का का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/Implementing Agency का होगा तथा इस सम्बन्ध में वैधानिक कटौतिया किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा|

5- अग्रिम भुगतान के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी अग्रिम भुगतान हेतु समायोजन(समस्त बिल बोउचेर्स व् बैधानिक कटौतियो के विवरण सहित) की कार्यवाही राजकीय निर्माण एजेंसी (कार्यदायी संस्था)/Implementing Agency द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी (एस०एन०ए०-स्पर्श) के माध्यम से नियंमानुसार कराया जाएगा|

6- सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि कार्यदायी संस्था/ Implementing Agency के स्तर पर ऑडिट हेतु रक्षित रखा जाएगा।

7- भुगतान की जाने वाली धनराशि के Correctness का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था/Implementing Agency का होगा। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग/एसएनए तथा साइबर ट्रेज़री का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, भारत सरकार,पी.एफ़०एम०एस० डिविजन के सुसंगत आदेशो/ सुसंगत शासनादेशो में उल्लिखित दिशा निर्देशों /शर्तो/प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

9- अवमुक्त धनराशि के नियमानुसार उपभोग होने के उपरान्त सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद न्यायालय द्वारा नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव न्याय विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा|

10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

11- न्याय विभाग के शासनादेश सं0-105/2021/463/सात-न्याय-9(बजट)-2021-800(35)/2020, दिनांक 17.03.2021(यथासंशोधित शासनादेश सं0- 223/2021/821/सात-न्याय-9(बजट)-2021-800(35)/2020, दिनांक 06.08.2021) एवं 121/2026/1369338/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9002(099)/4/2024 दिनांक 19 जून,2026 की शर्ते का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय न्याय विभाग के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के-60/रा-40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-124/2026/1379179(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार,नयी दिल्ली|

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निबन्धक(जे) इन्फ्रा0 (एच0सी0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।

6- जनपद न्यायाधीश-कननौज ।

7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।

8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी-साइबर ट्रेज़री,जवाहर भवन|

9- सम्बंधित कोषाधिकारी-जनपद कोषागार|

10- उपसचिव/स्टेट स्कीम मैनेजर/डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श)|

11- सिंगल नोडल एजेंसी-एडमिन, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन'|

12- डाटा ओपेरटर/डाटा एप्रूवर एसएनए-स्पर्श|

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12

14- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(पीयूष कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।